an>

Title: Need to appoint adequate number of dental hygienists in proportion to the population of the country and also permit them to contest elections in Dental Council of India and State Dental Councils.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) ः मैं सरकार का ध्यान **डेंटल हाईजिनिस्ट,** जिसे **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** कहते हैं, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। संसद द्वारा डेंटिस्ट एक्ट, 1948 के तहत **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** का प्रावधान किया गया था, जिससे प्राथमिक स्तर पर लोगों को मुख एवं दांतों में होने वाली बीमारियों जैसे पायरिया, कीड़ा एवं मुख के कैंसर आदि से बचाया जा सके और लोगों को इसके बारे में दन्त शिक्षा के द्वारा जागरूक किया जा सके। **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** को ओरल हाईजीन केयर प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे प्राईवेट हो या सरकारी सेवा, आवश्यक रूप से दन्त परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, परंतु **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** को दन्त परिषद में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद न तो वोट देने का अधिकार है, न ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** का नामांकन होता है।

इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि भारतीय जनसंख्या के अनुपात में **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीय दन्त परिषद एवं राज्य दन्त परिषदों में **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** को मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए और दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों को भारतीय दन्त परिषद एवं राज्य दन्त परिषदों में सरकार की ओर से **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** के प्रतिनिधियों के रूप में नामांकित किया जाए।